अध्याय V : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

5.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर संशोधक कार्रवाई

मंत्रालय वर्तमान नियमों के अनुवर्तन में विफल रहा और आई.आई.टी. मद्रास अनुसंधान पार्क को प्रयोज्य ब्याज दर 11.5 प्रतिशत के स्थान पर तीन प्रतिशत पर ₹ 100 करोड़ का ऋण दिया। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मंत्रालय ने ब्याज दर को परिवर्तित करने की संशोधक कार्रवाई की जिससे ₹ 46.75 करोड़ का घाटा होने से रोका गया।

सामान्य वित्तीय नियमों के अधिनियम 221(1) के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा ऋणों की श्रेणी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज लिया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, ने अक्तूबर 2007 के अपने कार्यलय ज्ञापन में, केन्द्र सरकार द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ सहकारी क्षेत्रों के औद्योगिकी एवं वाणिज्यिक उपक्रमों को दिए जाने वाले निवेश-ऋणों पर 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज दर निर्धारित किया था।

उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आई.आई.टी. मद्रास अनुसंधान पार्क, जो कम्पनी एक्ट, 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी है, को 100 करोड़ का ऋण दिया। विभाग के व्यय वित्त समिति ने, जुलाई 2009 में बुलाई गयी अपनी बैठक में यह महसूस किया कि ऋण पर, सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी उपक्रमों के निवेश ऋण पर लागू ब्याज दर, ही लिया जाना चाहिए। समिति ने यह भी जोड़ा कि ऋण के अनुमोदन में सा.वि.अ. 2005 में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2010 में विभाग और कम्पनी के बीच का अनुबंध, शेष ऋण राशि पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज की उगाही का प्रावधान करता था, जबकि प्रयोज्य दर 11.5 प्रतिशत है। ऋण की वापसी 2013-14 से 10 वर्ष की समय-सीमा के लिए होनी थी।

मंत्रालय की कार्रवाई सा.वि.अ. एवं व्यय वित्त समिति के निर्णयों के प्रतिकूल था। लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित करने के बाद (अक्तूबर 2010), मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2012) कि कम्पनी के साथ हुआ अनुबंध उसके बाद संशोधित किया गया तथा कम्पनी प्रयोज्य दर 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष पर ब्याज देने के लिए सहमत हो गयी है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा के द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप ₹ 46.75 करोड़ का आसन्न ब्याज घाटा बचाया गया।